कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची
E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com
Phone & Fax No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक :– 01/यो0ब0–48/2015 (खण्ड–5)-696

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग

दिनांक :–18.05.2016

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना)" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) के लिए **कुल 12.444 लाख (बारह लाख चौवालीस हजार चार सौ) रुपये** मात्र का ऑन–लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 07/यो0बजट–15/2014–73/स्वी0 व0 प0 दिनांक–17.02.2014 एवं आ0आ0संख्या–07/यो0बजट–15/2014–20 अ0व0प0 दिनांक–23.04.2016।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना)" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) के लिए **कुल 12.444 लाख (बारह लाख चौवालीस हजार चार सौ) रुपये** मात्र राशि का ऑन–लाईन उप आवंटन किया जा रहा है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :–

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड़	आवंटित राशि
1	789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना , उप शीर्ष 58–अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण	मजदूरी	19P240601789580103	11.026
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601789580323	1.418
कुल आवंटित राशि				**12.444**

D:\2015-16\Development\Allotment DDO\TSP\Soil conservation\Advance work/Soil Cons. (TSP) . 1

अर्थात् **कुल 12.444 लाख (बारह लाख चौवालीस हजार चार सौ) रुपय** मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्त्तमान आवंटित **कुल 12.444 लाख (बारह लाख चौवालीस हजार चार सौ) रुपय** मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जानेवाली ''अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण'' योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना)'' (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406– वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष 01–वानिकी लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 58–अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट–1 में अंकित विवरणी के अनुरुप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को समर्पित करेंगे।

6. उप–आवंटित राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी–पत्र– परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम–300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

9. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371, दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया

जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371, दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा।

10. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित तत्कालीन दर के अनुरुप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरुप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हो।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. इस योजना के कार्यान्वयन के द्वारा कुल 1000 पौधा प्रति हे0 की दर से 207.33 हे0 अवकृष्ट वनभूमि पर कुल 207330 पौधों का सम्पोषण कार्य किया जाएगा।

14. रोपित पौधों की जीवित प्रतिशत अधिक से अधिक या निर्धारित मापदंड़ों के अनुरुप होना सुनिश्चित किया जाय।

15. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची यह सुनिश्चित करेंगे कि वानिकी के निर्धारित तकनीकी मापदंडो के अनुरुप ही वृक्षारोपण किया जाय एवं जिस प्रस्तावित स्थल पर वृक्षारोपण कार्यान्वयन की स्वीकृति दी जा रही है, उक्त स्थल पर पुनः वृक्षारोपण कार्यान्वयन की पुनरावृत्ति न हो।

16. रोपित पौधों/वृक्षों की गुणवता एवं पौधों के संबंध में third party से concurrent evaluation कराया जाय एवं तद्नुसार समय पर वांछित सुधार कर प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची द्वारा संधारित किया जाय।

17. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।

18. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

20. वन प्रमंडलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 से अधिसूचित समिति द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित दर पर तैयार किया गया है तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की गयी है। जिसकी प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को प्राप्त है। तद्नुसार वर्ष 2016–17 के लिये राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का व्यय वास्तविक रुप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

21. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

23. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

24. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

25. तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों की मात्रा एवं गुणवत्ता को वनपाल, वन क्षेत्र पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के स्तर से वनरोपण योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसके अनुश्रवण के संबंध में जारी संकल्प

संख्या–2539 दिनांक 20.04.2005 एवं संकल्प संख्या–819 दिनांक 10.03.2011 के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगें।

26. संबंधित योजना हेतु आवंटन पत्र के शार्तों एवं सरकार के स्तर से स्वीकृत योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन कर कार्य कराये जाने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

27. अनुमोदित योजना एवं प्राक्कलन में किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं किया जाय एवं स्वीकृत मापदण्ड के अनुरुप ही कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

28. अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपने स्तर से सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षी को उपलब्ध करायेंगें।

29. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

30. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न–1 पर, कार्य दर अनु0–2 पर एवं ऑन–लाईन उप आवंटन अनुलग्नक–3 पर संलग्न है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

18/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2015-16\Development\Allotment DDO\TSP\Soil conservation\Advance work/Soil Cons. (TSP) . 5

संख्या–2539 दिनांक 20.04.2005 एवं संकल्प संख्या–819 दिनांक 10.03.2011 के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगें।

26. संबंधित योजना हेतु आवंटन पत्र के शर्तों एवं सरकार के स्तर से स्वीकृत योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन कर कार्य कराये जाने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

27. अनुमोदित योजना एवं प्राक्कलन में किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं किया जाय एवं स्वीकृत मापदण्ड के अनुरुप ही कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

28. अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपने स्तर से सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षी को उपलब्ध करायेंगें।

29. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

30. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न–1 पर, कार्य दर अनु0–2 पर एवं ऑन–लाईन उप आवंटन अनुलग्नक–3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोक्त।

ह0/–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–**01/यो0ब0–48/2015 (खण्ड–5)- 696** ,राँची, दिनांक :–**18.05.2016**

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अचंल, बोकारो/प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/प्रादेशिक अंचल, चतरा/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

18/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

संख्या–2539 दिनांक 20.04.2005 एवं संकल्प संख्या–819 दिनांक 10.03.2011 के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगें।

26. संबंधित योजना हेतु आवंटन पत्र के शार्तों एवं सरकार के स्तर से स्वीकृत योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन कर कार्य कराये जाने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

27. अनुमोदित योजना एवं प्राक्कलन में किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं किया जाय एवं स्वीकृत मापदण्ड के अनुरुप ही कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

28. अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपने स्तर से सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षी को उपलब्ध करायेंगें।

29. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

30. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न–1 पर, कार्य दर अनु0–2 पर एवं ऑन–लाईन उप आवंटन अनुलग्नक–3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोक्त।

ह0/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–**01/यो0ब0–48/2015 (खण्ड–5)- 696** ,राँची, दिनांक :–**18.05.2016**

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अचंल, बोकारो/प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/प्रादेशिक अंचल, चतरा/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–**01/यो0ब0–48/2015 (खण्ड–5)- 696** ,राँची, दिनांक :–**18.05.2016**

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/कोषागार पदाधिकारी, चतरा/ कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/ कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016—17 में कार्यान्वित की जानेवाली ''अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू—संरक्षण'' योजना (पुरानी—भू—संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनों का पूनर्वास योजना का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमंडलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

						3
क. सं.	जिला	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय वर्ष 2016—17		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	धनबाद	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	50.00	2.659	0.342	3.001
2	चतरा	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	50.00	2.659	0.342	3.001
3	गिरिडीह	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	50.00	2.659	0.342	3.001
4	हजारीबाग	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग	57.33	3.049	0.392	3.441
योग :—			**207.33**	**11.026**	**1.418**	**12.444**

1/3/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

दर तालिका (प्रति हे0)

भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1000 पौधे

स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी.

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0 में) : 221.61

कम	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री (रू0 में)	मजदूरी (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
क	**सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)**				
1	एक कोड़नी–निकौनी	14.00	0.00	3102.54	3102.54
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0.00	684.00	0.00	684.00
3	सुरक्षा पर व्यय	10.00	0.00	2216.10	2216.10
4	इण्टरी प्वाईण्ट कार्य हटाया गया				
	योग :–	**24.00**	**684.00**	**5318.64**	**6002.64**

8/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, रांची।

D:\2016-17\Sub-Allotment 2016-17\SCSP\Soil conservation\Soil Con (4th year)-1

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

झारखण्ड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-48/15-5/696 **दिनांक -** 18-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26737	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	265,900.00 रुपये दो लाख पैसठ हजार नौ सौ
2	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26738	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	265,900.00 रुपये दो लाख पैसठ हजार नौ सौ
3	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26748	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	265,900.00 रुपये दो लाख पैसठ हजार नौ सौ

योग: 797,700.00

क्रमिक योग: रुपये सात लाख सित्तानवे हजार सात सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 18/5/2016

पत्र संख्या - 01/YB-48/15-5/696

दिनांक - 18-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26749	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	304,900.00 रुपये तीन लाख चार हजार नौ सौ
5	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27140	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	34,200.00 रुपये चौतीस हजार दो सौ
6	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27142	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	34,200.00 रुपये चौतीस हजार दो सौ
7	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27144	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	34,200.00 रुपये चौतीस हजार दो सौ

योग: 407,500.00

क्रमिक योग: रुपये बारह लाख पॉच हजार दो सौ 1,205,200.00

18/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 18/5/2016

पत्र संख्या - 01/YB-48/15-5/696 दिनांक - 18-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27146	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	39,200.00 रुपये उनचालीस हजार दो सौ

योग: 39,200.00

क्रमिक योग: रुपये बारह लाख चवालीस हजार चार सौ 1,244,400.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 172.18.20.1 Run Date: 18/5/2016